



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462 016 (म.प्र.)

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2015,

भोपाल दिनांक

//कार्यालय आदेश//

उद्योगों/संस्थाओं/खदानों द्वारा एक्स.जी.एन. सॉफ्टवेयर के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत प्रस्तुत सम्मति आवेदन पत्रों के डिस्पोजल हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निरीक्षण का प्रतिवेदन आनॅलाईन प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्संबंध में निर्देशित है, कि निरीक्षण दौरान उद्योग के प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के फोटोग्रॉफ लेकर आनॅलाईन निरीक्षण रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करें।

(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव

पृ. क्रमांक 3104/Estt /स्था/प्रनिबो/2015,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/11/15

1. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी/मुख्य अभियंता (पर्यावरण)/अधीक्षण यंत्री- I/II/III/IV/ कार्यापालन यंत्री- I/II/III, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल/इन्दौर/धार/एसईजेड (पीथमपुर)/उज्जैन/ग्वालियर/गुना/शहडोल/जबलपुर/कटनी/छिंदवाड़ा/सागर/सतना/रीवा/सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. आई.टी. सेल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ/कृपया तदानुसार फोटोग्रॉफ अपलोड हेतु एक्स.जी.एन. सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार कार्य सुनिश्चित करावें।
4. गार्ड फाईल।

(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव